

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2230 /2024 दिनांक :26.06.2024

सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को दिनांक 28.05.2024 से 30.05.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री लोधी की अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू (बारां) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/61/2016/5235

दिनांक 26.06.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1664 दिनांक 03.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू (बारां)।


26/6/24
सहायक रजिस्ट्रार